□□□□ □□□□□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य एवं □ि□□□□ □ल्□□□ ि□□□□

□□□ □□□

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3240

12 □□□□, **2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

औषधियों के नमूनों का पुनपरीक्षण

3240. **श्री एस॰ ज्ञानातिरावियमः**

क□□ **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** □□ □□□□□ा □□□ □□□ि□□

(□) □□ □□□□□ा ि□श□□□ □□ □□□□□ दिए जाने की रिपोट के मामले म उपलब्ध □□□□□ और सौन्दय प्रसाधन नियम के अन्तगत प्रदान किए गए सुरक्षोपायों का ब□□□ क□□ □;□

(□) क्या विनिमाताओं की उपस्थिति म औषधियों के नमूनों के पुनपरीक्षण हेतु कोई प्र□□□□ □;□

(□) □ि□ □□,□तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; □□

(□) इस संबंध म ड्रग कंट्रोलर ऑफ ईंडिया द्वारा क्या संशोधित दिशा-निदश जारी ि□□ □□ □?

□त□□

स□□स्थ्य और परिवार कल्या□ □□ज□ □त्री (श्री □□श्□□□ □□□□□ □□□□)□

(□): इस प्रकार का विवरण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 □ी □□□□ 25(4) के तहत निर्धारित है, जिसे निम्न□□ □□□: प्रस□□ ि□□□ □□□□ □;□

जब तक नमूने का पहले ही परीक्षण □ ि□□□ □□ □□□ □□ □□ "केंद्रीय □□ि□ प्रयोगशाला द्वारा विश्ले□□ □ ि□□□ □□□, □□□□□□ □□□के□, □□-□□□□ □□□□□, □□□□□ ि□श□□क रिपोर्ट के विरोध में साक्ष्य प्रस□□ करने के अपने इरादे को अधिसूचित किया □□ □□ □□□□□□□ □□□□□□प्रस□□व पर या तो शिकायतकर्ता अथवा दोषी के अनुरोध पर □□□□ि□□□□ि□□□□ □ □□□□ 23 □ी □□-□□□□ (4) के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तु□ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के नमूने को परीक्षण या विश्ले□□ □□ि□□ □क□ प्र□□□□□□ □□ □□□□□□□ ि□□□ □□□□□□ □,□ □□ □□ीक्ष□ □□□□ ि□श□□□ □□□□ □□ □□□□□ □ि□□□□ □□ ि□ि□□ □ केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला निदेशालय के प्राधिकारी द्वारा अथवा □□□□□ □स□ीक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और इस प्रकार की रिपोर्ट यहां वर्णित तथ्यों का निर्णयात्म□ □क्ष□ □□□□"

(□) □□ (□): □□ □□ी□

(□): इस प्रकार के दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

****